

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 85/14

संस्थापन दिनांक:-13/02/14

फाईलिंग नं. 233504004242014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

फन्दीलाल पिता सुक्या बसदेवा
 उम्र 50 वर्ष, निवासी टांडा जम्बाड़ी खुर्द,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 31.01.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323(दो काउंट में), 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 05.02.2014 को समय 08:00 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत ग्राम जम्बाड़ी टांडा स्थित फरियादी के घर के सामने सार्वजनिक स्थान या उसके समीप फरियादी ममता बसदेवा को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी ममता एवं उसे बचाने आयी सोमती उर्फ चंचू को हाथ मुक्का व झूमा झटकी कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.02.2014 को सुबह करीब 8 बजे अभियुक्त फरियादी के घर के सामने आया और उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर मादरचोद, छिनाल की गालियां देकर दो सौ रूपये उधार मांगे। फरियादी द्वारा पैसे न देने पर अभियुक्त ने उसे हाथ मुक्के से मारपीट किया और बाल पकड़कर गिरा दिया। जब उसे उसकी लड़की सोमती उर्फ चंचू बचाने आयी तो अभियुक्त ने उस भी बाल पकड़कर झूमा झटकी कर गिरा दिया। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर कुल्हाड़ी से मारकर जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 120/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक

तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी ममता बसदेवा को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी ममता एवं उसे बचाने आयी सोमती उर्फ चंचू को हाथ मुक्का व झूमा झटकी कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का निराकरण

5 ममता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय उसे हरामजादी, छिनाल, चुदेल कहा था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि चंचू के बीच बचाव करने आने पर आप अभियुक्त ने उसे भी गंदी गंदी गालियां दी थी। सोमती (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसकी मां को मादरचोद, छिनाल, बदज्जात की गालियां दी थी। चंचू (अ.सा.-4) का कहना है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसकी मां को गंदी गंदी गालियां दी थी। इस संबंध में मंशाराम (अ.सा.-5) ने प्रकट किया है कि अभियुक्त ने फरियादी को गालियां दी थी।

6 साक्षी/फरियादी ममता (अ.सा.-1) एवं सोमती (अ.सा.-2) ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं वे शब्द ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र क्रोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरुद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्त एवं फरियादी के ग्रामीण

परिवेश को देखते हुए धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 ममता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे कुल्हाड़ी से मारकर फेंकने की धमकी दिया था। सोमती (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर इस बात को सही बताया है कि अभियुक्त ने घटना के समय जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि फरियादी ममता (अ.सा.-1) एवं सोमती (अ.सा.-2) ने अभियुक्त द्वारा घटना के समय जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु अभियुक्त द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

8 ममता (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया कि अभियुक्त ने उसे बाल पकड़कर पटका दिया था और हाथ मुक्के से मारपीट किया था जिससे उसके सिर, पसली में चोट आयी थी। चंचू (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसकी मां के बाल पकड़ लिये थे और जूते लात से मारपीट किया था और जब उसने तथा सोमती ने बीच बचाव किया था तो अभियुक्त ने उनके भी बाल पकड़ लिये थे।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-6) ने दिनांक 07.02.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत ममता का परीक्षण किये जाने पर आहत के दाहिने हाथ एवं सिर में दर्द एवं आहत चंचू का परीक्षण किये जाने पर आहत के सिर में दर्द तथा आहत सोमती का परीक्षण किये जाने पर आहत को गर्दन एवं दाहिने हाथ के अंगूठे में दर्द पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-5, प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 को प्रमाणित भी किया है।

10 बिसनसिंह (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 07.02.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 120/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 09.02.2014 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) तथा दिनांक 11.02.2014 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-8) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

11 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है तथा किसी भी आहत के शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं पायी गयी है। किसी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। घटना की रिपोर्ट अत्यन्त विलंब से लेख करायी गयी है जिससे अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में रमेश (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह घटना के समय ग्राम जम्बाड़ा में चौराहे पर खड़ा था तभी फरियादी एवं अभियुक्त के बीच में विवाद होने लगा तो उसने अभियुक्त को समझाकर भगा दिया था। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसने अभियुक्त को मारपीट करते या गाली गलौच करते नहीं देखा था। मंशाराम (अ.सा.-5) ने भी न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त एवं फरियादी के बीच में झूमा झटकी हो रही थी तब उसने दोनों को अलग कर दिया था परंतु उसने मारपीट की घटना नहीं देखी थी। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं परंतु यह उल्लेखनीय है कि सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के मामले में गवाही देने से बचता है तब ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षीगण के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है। साथ ही उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से यह तो प्रकट हो रहा है कि घटना दिनांक को फरियादी एवं अभियुक्त के बीच में विवाद हुआ था।

13 ममता (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि घटना के समय अभियुक्त फंदीलाल घर के सामने आया और यह कहा कि तूने सोनू को अंदर कैसे किया मुझे अंदर करके देख और दो सौ रुपये मांगा। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि जब उसने अभियुक्त से कहा कि उसके पास दो सौ रुपये नहीं है तो अभियुक्त ने बाल पकड़कर उसे पटक दिया और हाथ मुक्के से मारपीट किया जिससे उसकी पसली और सिर में चोट आयी और जब उसकी बेटी ममता और चंचू बीच बचाव करने आयी तो अभियुक्त ने उनके साथ भी मारपीट की। सोमती (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त घटना के समय दो सौ रुपये मांगने के लिए आया था जब उसकी मां ने

दो सौ रूपये देने से मना किया तो अभियुक्त ने पत्थर उठाकर घर के कवेलू पर मारा। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसकी बहन चंचू (अ.सा.-4) का हाथ पकड़कर खींचने लगा तभी लल्लू और मंशा ने अभियुक्त को समझा बूझाकर घर से ले गये। चंचू (अ.सा.-4) ने भी यह प्रकट किया है कि अभियुक्त फंदीलाल घटना दिनांक को दो सौ रूपये मांगने के लिए आया था जब मां ने देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसकी मां ममता के बाल पकड़कर जूते और लात घूसों से मारपीट की और जब उसने एवं उसकी बहन सोमती ने बीच बचाव किया तो अभियुक्त ने उनके भी बाल पकड़े थे।

14 ममता (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त से पैसे की बात पर से पूर्व से रंजिश है। उक्त साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी और उसने घटना की रिपोर्ट दो-तीन दिन बाद की थी। सोमती (अ.सा.-2) से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह सही होना बताया है कि अभियुक्त ने उसकी मां के साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट किया था और जब वह बचाने गयी तो उसे भी हाथ थप्पड़ से मारा था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में यह बताया है कि अभियुक्त उनके घर के अंदर घुस गया था और उन लोगों ने उसे धक्का मारकर बाहर किया था तब वह बाहर निकल गया था। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को ऐसा नहीं बताया था कि जब वह बीच बचाव करने के लिए गयी तो अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की थी। पैरा क. 05 में इस सुझाव को सही बताया है कि उसकी सोनू से नाराजगी है। चंचू (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में यह बताया है कि वह घटना के समय घर के अंदर थी। साक्षी ने प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसकी मां के साथ मारपीट किया था तथा इस सुझाव को भी सही बताया है कि जब से अभियुक्त फंदीलाल के लड़के सोनू की रिपोर्ट उसकी मां ने की है तब से उनकी अभियुक्त के परिवार से रंजिश चली आ रही है।

15 अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त फरियादी ममता से दो सौ रूपये की उधार दिये जाने की मांग कर रहा था, इसी बात पर से विवाद हुआ तथा अभियुक्त ने फरियादी ममता की हाथ मुक्के से मारपीट कर उसे बाल पकड़कर गिरा दिया और जब फरियादी की लड़की सोमती और चंचू बचाने के लिए आये तो अभियुक्त ने उनके भी बाल पकड़ लिये। ममता (अ.सा.-1) ने अभियुक्त के द्वारा हाथ मुक्के से मारपीट की जाना तथा उसकी बेटी सोमती एवं चंचू के साथ भी मारपीट किया जाना बताया है। जबकि सोमती (अ.सा.-2) ने अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अभियुक्त द्वारा उसकी मां के साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट की जाना और बीच बचाव करने पर उसे भी हाथ थप्पड़ से मारपीट करना बताया है। चंचू (अ.सा.-4) ने अभियुक्त द्वारा उसकी मां को जूते, लात घूसों से मारपीट की जाना तथा उसके एवं उसकी बहन सोमती के द्वारा बीच बचाव करने पर

अभियुक्त द्वारा उनके बाल पकड़ लिये जाना बताया है। उपर्युक्त आहतगण के चिकित्सकीय परीक्षण में उनके शरीर पर कोई भी बाह्य चोट नहीं पायी गयी मात्र दर्द होना पाया गया था। घटना दिनांक 05.02.2014 की प्रातः 08 बजे की है। घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट दिनांक 07.02.2014 को दोपहर में 12:20 बजे लेख करायी गयी है। अभियोजन द्वारा विलंब का कोई समुचित स्पष्टीकरण उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है। साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है। साक्षीगण की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित नहीं है। उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश का तथ्य स्थापित है। अतः ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन कथा संदेहास्पद हो जाती है। अतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने आहतगण ममता, चंचू एवं सोमती को स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी ममता बसदेवा को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी ममता एवं सोमती उर्फ चंचू को हाथ मुक्का व झूमा झटकी कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त फंदीलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो, 323(दो काउंट में) के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)